fogxkoyksdu

इस प्रतिवेदन में दो समीक्षाओं सहित 38 कंडिकाएं हैं जिनमें 304.68 करोड़ रुपये का कर, ब्याज आदि नहीं/कम लगाये जाने से सम्बन्धित मामले हैं। प्रमुख निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है :

I. lkekU;

वर्ष 2005–06 के लिये बिहार सरकार की कुल प्राप्तियाँ 17,836.71 करोड़ रुपये थी। कर राजस्व के 3,561.10 करोड़ रुपये और कर भिन्न राजस्व के 522.30 करोड़ रुपये को मिलाकर, राज्य सरकार ने कुल 4,083.40 करोड़ रुपये का राजस्व सृजित किया। भारत सरकार से 13,753.31 करोड़ रुपये (विभाज्य संघीय करों से राज्य का हिस्साः 10,420.59 करोड़ रुपये और सहायता अनुदानः 3,332.72 करोड़ रुपये) की प्राप्ति हुई। इस प्रकार राज्य सरकार, कुल राजस्व का केवल 23 प्रतिशत ही सृजित कर सकी। वर्ष 2005–06 की अवधि में बिक्री, व्यापार आदि पर कर (1,733.60 करोड़ रुपये) और ब्याज प्राप्तियाँ (216.07 करोड़ रुपये) क्रमशः कर राजस्व और कर भिन्न राजस्व के मुख्य श्रोत थे।

¼dfMdk 1-1-1] 1-1-2 ,oa 1-1-3½

वर्ष 2005–06 की अवधि में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद तथा स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क के संग्रहण पर किये गये व्यय की प्रतिशतता अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से स्पष्टतया अधिक थी।

¼dfMdk 1-3½

वाणिज्य कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग तथा अन्य विभागीय कार्यालयों के अभिलेखों की वर्ष 2005–06 की अवधि में की गयी नमूना जाँच से 781.66 करोड़ रुपये के राजस्व के अवनिर्धारण/कम निर्धारण/हानि के 3,833 मामले प्रकाश में आये। वर्ष 2005–06 की अवधि में सम्बद्ध विभागों ने 180 मामलों में अन्तर्ग्रस्त 14.56 करोड़ रुपये का अवनिर्धारण आदि स्वीकार किया, जिसमें से 2.24 करोड़ रुपये से अन्तर्ग्रस्त 69 मामले, वर्ष 2005–06 की लेखापरीक्षा के दौरान एवं शेष पिछले वर्षों में बतलाये गये थे। सम्बद्ध विभागों ने 1.25 करोड़ रुपये की वसूली किया जाना भी प्रतिवेदित किया गया है।

¼dfMdk 1-10½

दिसम्बर 2005 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं जिनका निराकरण अगस्त 2006 तक नहीं हो पाया था,की संख्या क्रमशः 2,823 एवं 15,324 थी जिसमें 2,628.21 करोड़ रुपये अन्तर्ग्रस्त थे। 1,973 निरीक्षण प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए हैं, यद्यपि निर्गत प्रतिवेदनों की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उत्तर दिया जाना अपेक्षित था।

¼dfMdk 1-12½

II- fcØh] 0;kikj vkfn ij dj

14 वाणिज्यकर अंचलों में विभिन्न वस्तुओं के 24 व्यवसायियों द्वारा बिक्री राषि के छिपाये जाने के फलस्वरुप अर्थदण्ड सहित 4.37 करोड़ रुपये का कर कम आरोपित हुआ।

¼dfMdk 2-2½

पाँच वाणिज्य कर अंचलों में निर्यात बिक्री के मद में अधिक कटौती की अनुमति के फलस्वरुप अतिरिक्त कर, अधिभार एवं अर्थदण्ड सहित 1.18 करोड़ रुपये का कम करारोपण हुआ।

¼dfMdk 2-3½

तीन वाणिज्यकर अंचलों में 21.09 करोड़ रुपये के छिपाये गये बिक्री राषि पर निर्धारण प्राधिकारी ने 2.20 करोड़ रुपये का न्यूनतम अर्थदण्ड आरोपित करने में विफल रहे।

¼dfMdk 2-7½

11 वाणिज्यकर अंचलों मे 25.96 करोड़ रुपये के अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर से छूट/रियायती दर की अनुमति के फलस्वरुप अतिरिक्त कर एवं अधिभार सहित 1.68 करोड़ रुपये के कर का अवनिर्धारण हुआ।

¼dfMdk 2-10-2½

III- jkT; mRikn

20 उत्पाद कार्यालयों में 2003–04 एवं 2004–05 से दौरान 180 देषी षराब दूकान, 130 मसालेदार देषी शराब दूकान एवं 65 भारत निर्मित विदेषी शराब दूकान अबन्दोवस्त पड़े रहे अथवा विभागीय स्तर पर संचालित नहीं हुए। इसके फलस्वरुप 24.46 करोड़ रुपये के उत्पाद शुल्क एवं अनुज्ञप्ति फीस की हानि हुई।

¼dfMdk 3-2½

IV- ekVj okguksa ij dj

29 जिला परिवहन कार्यालयों में अप्रैल 2003 से दिसम्बर 2005 के अवधि से सम्बन्धित 1,262 वाहनों के 30 करोड़ रुपये के बकाये कर का न तो वाहन मालिकों द्वारा भुगतान किया गया था और न ही सम्बंधित कर प्राधिकारी द्वारा इसकी माँग की गई थी।

¼dfMdk 4-2-1½

विभाग ने 125 वाहन मालिकों, जो वाहनों के अभ्यपर्ण पर कर भुगतान से छूट प्राप्त करने में विफल रहे, से 1.31 करोड़ रुपये के कर की वसूली नहीं की।

¼dfMdk 4-3-1½

V- vU; dj çkfIr;k

Hk&jktLo d mnxg.k ,o lxg.k पर एक समीक्षा से निम्नलिखित बातों का पता चला :

- मार्च 2006 तक 113.76 करोड़ रुपये के बकाया राजस्व का संग्रहण लंबित था।

¼dfMdk 5-2-8½

- रैय्यतों द्वारा कृषि योग्य भूमि को व्यावसायिक प्रयोजन हेतु उपयोग करने पर व्यावसायिक लगान के निर्धारण नहीं होने के फलस्वरुप 4.37 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

¼dfMdk 5-2-9½

- खास महाल पट्टों को सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बगैर बिक्री/हस्तानांतरित किया गया। इसके अतिरिक्त लगान के भुगतान के बगैर पट्टों को अधिग्रहित कर लिया गया। परिणामस्वरुप 140.51 करोड़ रुपये के राजस्व का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

¼dfMdk 5-2-11½

- लोगों द्वारा अतिक्रमित सरकारी भूमि को न तो खाली कराया गया और न ही बन्दोबस्ती की गई जिसके फलस्वरुप सलामी और लगान के रुप में 60 लाख रुपये की वसूली नहीं हुई।

¼dfMdk 5-2-14½

- 15,750 एकड़ भूदान भूमि की बन्दोवस्ती योग्य व्यक्तियों के साथ नहीं होने से लगान एवं उपकरों के रुप में 12.49 लाख रुपये के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

¼dfMdk 5-2-16½

आठ वाणिज्य कर अंचलों में आठ व्यवसायियों ने वर्ष 2001–02 से 2003–04 के दौरान 66.60 करोड़ रुपये की अनुसूचित सामग्रियों को मंगाया था, प्रवेष कर अधिनियम के अंतर्गत व्यवसायियों का निबंधन/प्रतिवेदन जमा नहीं होने के कारण 3.09 करोड़ रुपये के प्रवेष कर का उद्ग्रहण नहीं हो सका।

¼dfMdk 5-3½

वर्ष 2001–02 से 2003–04 के दौरान तीन वाणिज्य कर अंचलों में निबंधित अनुसूचित सामग्रियों के चार व्यवसायियों द्वारा आयातित मूल्य को छिपाने के परिणामस्वरुप न्यूनतम अर्थदण्ड सहित 1.34 करोड़ रुपये के प्रवेष कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

¼dfMdk 5-4½

पेराई वर्ष 2002–03 से 2004–05 के लिए सात चीनी मिलों पर 47.81 लाख रुपये के ब्याज की राषि का उद्ग्रहण नहीं किया गया।

¼dfMdk 5-7½

VI- dj fHkUu çkfIr;k¡

ifyl çkfIr;k¡ पर एक समीक्षा से निम्नलिखित बातों का पता चला :

- सरकारी रेलवे पुलिस का 9.62 करोड़ रुपये की माँग, जो कि वर्ष 1979–80 से नवम्बर 2000 से संबंधित था, चार से 25 वर्षों के विलम्ब से सृजित की गयी।

¼dfMdk 6-2-8-1½

- विभागीय लेखे में पुलिस प्राप्तियों के 35.94 करोड़ रुपये का अनियमित समायोजन।

¼dfMdk 6-2-8-2½

- रेलवे से 79.44 लाख रुपये के पेंशन अंषदान एवं छुट्टी वेतन की राशि की वसूली नहीं हुई थी।

¼dfMdk 6-2-8-3½

- जी आर पी लागत का रेलवे से संबंधित हिस्सा 11.09 करोड़ रुपये का व्यय अनियमित था।

¼dfMdk 6-2-8-4½

- आरक्षी महानिरीक्षक एवं आरक्षी उपमहानिरीक्षक कार्यालय की स्थापना पर 1.37 करोड़ रुपये के लागत की माँग का सृजन नहीं किया गया था।

¼dfMdk 6-2-9½

- वाणिज्यिक संस्थानों एवं निजी व्यक्तियों को उपलब्ध कराये गये पुलिस बल हेतु 5.35 करोड़ रुपये की माँग का सृजन नहीं किया गया था।

¼dfMdk 6-2-10-1 ,o 6-2-10-2½

आठ जिला खनन कार्यालयों में 2003–04 एवं 2004–05 के ईट मौसम में विहित संचित रॉयल्टी का भुगतान किए बगैर एवं वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना 739 ईट भट्ठे संचालित किये जा रहे थे। सक्षम प्राधिकारी 4.47 करोड़ रुपये के अर्थदण्ड आरोपित करने में विफल रहे।

¼dfMdk 6-3½

दो प्रमण्डलों में 2000–01 से 2004–05 के दौरान सिंचित खरीफ के लिए 2.86 लाख एकड़, रबी के लिए 0.61 लाख एकड़ एवं गर्मा फसलों के लिए 0.14 लाख एकड़ भूमि हेतु खतियानी तैयार नहीं की गई थी तथा जलदर के 3 करोड़ रुपये के लिये माँग सृजन एंव संग्रहण हेतु उन्हें सम्बन्धित राजस्व प्रमण्डलों को नहीं भेजा गया था।

¼dfMdk 6-5½

माप एवं तौल इकाई के चार अवर प्रमण्डलों से संबंधित तथ्य एवं आँकड़ों के तिर्यक जाँच करने पर पता चला कि संबंधित माप एवं तौल निरीक्षकों द्वारा संग्रहित 2.69 लाख रुपये या तो रोकड़ पंजी में लेखाबद्ध ही नहीं किये गये अथवा रोकड़ पंजी में लेखाबद्ध किये भी गये परन्तु कोषागार में जमा नहीं किए गये। हालाकि लेखा परीक्षा में बतलाये जाने के बाद एक अवर प्रमण्डल द्वारा 18,859 रुपये जमा किए गये।

¼dfMdk 6-8-1½

कटे हुए वृक्षों के लॉगिंग, ढुलाई एवं वृक्षारोपण के मद में वन विभाग द्वारा 1.87 करोड़ रुपये की माँग का सृजन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ रुपये की राषि को सावधि जमा में रखने के बजाए इसे राजस्व प्राप्ति के रूप में सरकारी खाते में जमा कर दिया गया जिससे 12.83 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

¼dfMdk 6-9-1 ,o 6-9-2½